



- PDF Compressor Free Version
- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पीएस के शिक्षा का अधिकार।
 - कक्षा 1-8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबन्धित।
 - 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आयु के अनुसार आयु संगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
 - प्रवेश के लिये जन्म (आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं)।
 - विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की बाध्यता नहीं।
 - कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया मध्याह्न भोजन।
 - स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - शारीरिक दृष्टि व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
 - विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री, सुश्रुति आदिकी निःशुल्क व्यवस्था।
 - विद्यालय में जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार में निषेध।
 - निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनानी फार्म का वितरण।



PDF Compressor Free Version

- विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य
- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के शिक्षा का अधिकार।
 - कक्षा 1-8 तक कंपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबन्धित।
 - 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आयु के अनुसार आयु संगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
 - प्रवेश के लिये जन्म (आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं)।
 - विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की बाध्यता नहीं।
 - कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया मध्याह्न भोजन।
 - स्वच्छ शैय्या और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - शारीरिक दृष्टि व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
 - विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षा सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निःशुल्क व्यवस्था।
 - विद्यालय में जाति वर्ग, धर्म अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव रहित वातावरण।
 - निःशुल्क शालय शुल्क व शौचालय का
- मध्याह्न भोजन योजना
- | दिनांक | भोजन के प्रकार |
|----------|----------------------------------|
| रविवार | रोटी सोयाबीन दाल का वड़े |
| सोमवार | युक्त सब्जी (मसूर ताजा फल) |
| मंगलवार | चावल-दाल |
| बुधवार | तहरी एवं दूध (प्रति बच्चा 150ml) |
| गुरुवार | रोटी सब्जी युक्त दाल |
| शुक्रवार | तहरी |
| शनिवार | चावल सोयाबीन |
- मध्याह्न भोजन योजना
117238910

बाल अधिकार



विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पढ़ाई के शिक्षा का अधिकार।
- कक्षा 1-8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबन्धित।
- 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आयु के अनुसार आयु संगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
- प्रवेश के लिये जन्म/आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की बाध्यता नहीं।
- कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया मध्याह्न भोजन।
- स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- शारीरिक दृष्टि व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षा सहायक सामग्री एवं उपकरण निःशुल्क व्यवस्था।
- विद्यालय में जाति, वर्ग, धर्म अथवा भिन्न आधारीत भेदभाव रहित।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं श्रुतीकर्म का।

कक्षा-4 प्रारंभिक पाठ्यक्रम को सभी बच्चे पढ़ें।
कक्षा-5 के प्रारंभिक पाठ्यक्रम को सभी बच्चे पढ़ें।
गणित
कक्षा-1 निर्धारित सभी गणित के प्रश्नों को पढ़ाएं।
कक्षा-2 जोड़ व घटाना (एक-अंकीय) के 75% प्रश्नों को सभी बच्चे पढ़ें।
कक्षा-3 जोड़ व घटाना (दो-अंकीय) के 75% प्रश्नों को सभी बच्चे पढ़ें।
कक्षा-4 जोड़ व घटाना (दो-अंकीय) के 75% प्रश्नों को सभी बच्चे पढ़ें।
कक्षा-5 जोड़ व घटाना (दो-अंकीय) के 75% प्रश्नों को सभी बच्चे पढ़ें।



बाल अधिकार



विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य

6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के शिक्षा का अधिकार।

कक्षा 1-8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबन्धित।

6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आयु के अनुसार आयु समूह कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।

प्रवेश के लिये जन्म/आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।

विद्यालय में प्रवेश लेने हैंतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की बाधता नहीं।

कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया मध्याह्न भोजन।

स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।

शारीरिक दृष्टि व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षा/सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निःशुल्क व्यवस्था।

निःशुल्क में जाति वर्ग, धर्म अथवा भिन्न आधारित दुर्भावपूर्ण व्यवहार प्रतिबन्धित।

विद्यालय में जाति वर्ग, धर्म अथवा भिन्न आधारित दुर्भावपूर्ण व्यवहार प्रतिबन्धित।

निःशुल्क माध्यम पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री का वितरण।

कक्षा-1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं।

कक्षा-2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं।

कक्षा-3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं।

कक्षा-4 छंद अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।

कक्षा-5 छंद अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।

गणित

कक्षा-1 निर्धारित सूची में से 5 संख्या सही से पहचान लेते हैं।

कक्षा-2 जोड़ व घटाना (द्व्यंकीय) के 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।

कक्षा-3 जोड़ व घटाना (द्व्यंकीय) के 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।

कक्षा-4 गुणक के 25 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।

कक्षा-5 गुणक के 25 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।





Time: 23-08-2023 13:28
Note: Kaithuliya

Powered by NoteCam























स्वच्छता क्लब का गठन कार्यक्रम
निर्देशन प्रपत्र

ressor Free Version

आई.ई.सी संस्था का नाम			
जनपद	दीली मीन		
ब्लॉक	बीरमलपुर		
ग्राम पंचायत	रसलीरा		
विद्यालय का नाम	ग्राम विद्यालय		
स्वच्छता क्लब गठन किये जाने की तिथि	२३-४-२०२३		
मुख्य अतिथि	श्री शीबपाल		
प्रधान अध्यापक का नाम/मो. नंबर	शैलेश कुमार ९७५९५०९०८५		
क्र.सं.	स्वच्छता क्लब के सदस्यों का नाम	पदनाम	कक्षा
१	रवि भार्गव	ग्राम (गमूह अध्यक्ष)	५
	अमित	विद्यालय स्वच्छता प्रभारी	५
	अमित पाल	"	५
	रविमल कुमार	स्वच्छता प्रभारी	५
	सविता	प्रभारी प्रभारी	३
	अर्चना	"	५

PDF Compressor Free Version

हस्ताक्षर एवं मुहर
प्रधान अध्यापक/अध्यापिका
शैलेश कुमार
बलानाथ
श्री ० दि० देवस्थान
श्री ० दि० देवस्थान : गीर्वाणी

